पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/वैट–अनुभाग/2007–08/देहरादून

कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड,
(वैट–अनुभाग)
देहरादून::दिनांक 03, ~~फरवरी~~ मार्च 2008

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0), वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,श्रेणी–2

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिनियम–2005 की धारा–25 की उपधारा(2) में प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने का प्राविधान किया गया हैं। वैट नियमावली–2005 के नियम–11 के उपनियम (7) में उक्त वार्षिक विवरणी के अनुवर्ती (Succeeding) कर निर्धारण वर्ष में 31 दिसम्बर को या इससे पूर्व कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु समय निश्चित किया गया है। साथ ही इसी उपनियम में यह प्राविधान भी किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी पर्याप्त कारणों के आधार पर विवरणी को दाखिल करने का समय बढ़ा सकता है।

वैट अधिनियम की धारा–25 में इस प्रकार दाखिल किये गए वार्षिक विवरण की जांच के उपरान्त कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 80 प्रतिशत वादों का स्वतः निर्धारण का प्राविधान किया गया है। इसका उद्देश्य है कि गहनतापूर्वक जाँच किये जाने वाले वादों की संख्या कम हो सकें तथा ऐसे वादों में कर–निर्धारण अधिकारी VAT के प्राविधानों के Compliance की समुचित जांच भी कर सकें। वैट प्रणाली लागू होने पर यह अपेक्षा की गई थी कि अधिक–से–अधिक व्यापारियों द्वारा वार्षिक विवरण दाखिल किया जाएगा, ताकि जिससे व्यापारी स्वतः निर्धारण योजना का लाभ लें सकेगें।

इस सम्बन्ध में वर्ष 2006–07 के लिए दाखिल वार्षिक विवरण की संख्या के आंकड़ों को देखने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रदेश में वर्ष 2006–07 में पंजीकृत लगभग 65176 व्यापारियों में से सिर्फ 5290 व्यापारियों द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल की गई है। इस प्रकार वर्ष 2006–07 के लिए मात्र 8 प्रतिशत व्यापारियों द्वारा ही वार्षिक विवरणी दाखिल की गई है। वर्ष 2005–06 के लिए भी लगभग 8 प्रतिशत ही वार्षिक विवरणी दाखिल हुई है।

यह स्थिति गम्भीर है तथा इससे पता लगता है कि कर–निर्धारण अधिकारी स्तर पर इस आशय के प्रयास नहीं हुए है कि व्यापारी अधिक–से –अधिक वार्षिक विवरणी दाखिल करें। वैट अधिनियम की धारा–58 की उपधारा(iV) में विवरणी समय से प्रस्तुत न किये जाने पर रू0 5000=00 के अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। अर्थदण्ड के इस प्राविधान को रखे जाने का उद्देश्य यही है कि कर–निर्धारण अधिकारी वार्षिक विवरणी के सम्बन्ध में अधिक–से–अधिक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कर–निर्धारण अधिकारियों द्वारा इस प्राविधानो का उपयोग नही किया गया है।

–2–

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र
देहरादून
डायरी सं0 637 दिनांक 5-3-08

इस सम्बन्ध में कर–निर्धारण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि वह अधिक से अधिक वार्षिक विवरण दाखिल कराना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में वैट अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(एल.एम.पन्त)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

4087
पृ0प0सं0 दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
4– एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।
5– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/प्रर्वतन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
8– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।
9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10– पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रूड़की।
11– श्री वी0के0 वर्मा, विशेष कार्यधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
12– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग,अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
13– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।
14– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
15– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
16– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

3/2/2008
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड,देहरादून।